Main Bhi Dilli
Ab Sheher Saath Banayenge

फैक्ट शीट 1

आजीविका: कचरा कामगार

चित्र: WIEGO के लिए रश्मि चौधरी

दिल्ली शहर में करीब दो से तीन लाख लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया कचरा उठाना है। इसका न सिर्फ पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ को फायदा पहुंचता है बल्कि नगर निगम की कचरा उठाने की लागत भी कम हो जाती है। हलांकि विभत्सकारी जिंदगी जीने वाले कचरा कामगारों को इसका श्रेय कम ही दिया जाता है। कचरा कामगारों को उनकी पहचान, कानूनी और समाजिक संरक्षण मिले, शहर की ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में उनका योगदान, और जिंदगी सम्मान पूर्ण जीने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।

मैं भी दिल्ली अभियान एक समावेशी शहर की कल्पना व उसके निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य करने वाला एक जन अभियान है। यह एक सामाजिक संस्थानों, ऐक्टिविस्ट, शोधकर्ताओं, तथा आवास, जीविका, लिंग-भेद, और अन्य अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है।

शहर में कचरा कामगार

शहर के कचरा कामगार घरों, दुकानों, सड़कों और मुहल्लों के बने कचरा घरों में बिखरे और फैले को चुनते हैं और उन्हें बेचने से पहले अलग अलग चीजों जैसे धोए जाने वाले, खंड खंड किए जाने वाले जैसी चीजों में बांट देते हैं। दिल्ली में एक कचरा कामगार रोजाना औसतन करीब 10 से 15 किलो कचरा जमा करता है, उन्हें छांटता है और बेचता है। जबकि ठेगा गाड़ी के जरिए कचरा कामगार यही काम रोजाना करीब करीब 50 किलो कचरे के साथ करता है।

दिल्ली जैसे शहर में कचरा उठाने का ज्यादातर काम पुरुषों के द्वारा किया जाता है जबकि महिलाओं की जिम्मेदारी बिना किसी मदजूरी घर पर ही उठाए और लाए गए कचरे को अलग अलग करना होता है। कुछ महिलाएं गोदामों या फिर छोटे ठेकेदारों के यहां दिहाड़ी मजदूरी का भी काम करती हैं, जो इन कचरों को फैक्ट्रियों में बेचने का काम करते हैं। कचरा कामगारों में ज्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या फिर दलित।

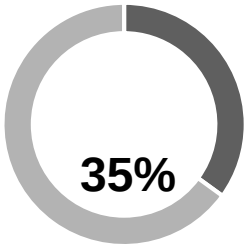

कचरा सूखा हुआ होता है जिन्हें रीसाइकिल कर के दूसरे उत्पाद बनाए जा सकते हैं

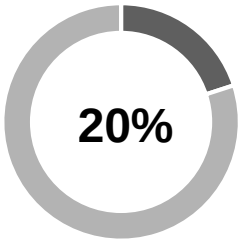

कचरा असंगठित क्षेत्र के कचरा कामगारों द्वारा रीसाइकिल किया जाता है- 2500 टन प्रति दिन

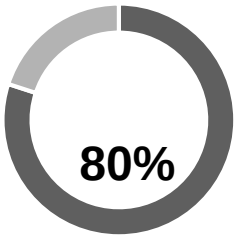

दिल्ली में कचरा असंगठित क्षेत्र के कचरा कामगारों द्वारा रीसाइकिल किया जाता है

शहर को योगदान

अर्थिक	पर्यावरण संबंधी
• शहरों में रहने वाले गरीबों की आजीविका का साधन • नगर निगमों के मजदूरी और यातायात के लागत को कम करने में मददगार- अप्रशिक्षित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी * दिल्ली में घरों में काम करने वालें को संख्या 3-6 करोड़ सालाना (चिंतन, 2018)	कार्यकुशल रीसाइक्लिंग- दिल्ली में करीब करीब 80 प्रसिशत कचरा रीसाइक्लिंग का काम असंगठित क्षेत्र के द्वारा किया जाता है (यूएन, 2010) जो:- - कचरा प्रबंधन की लागत और संसाधनों का दबाव कम करते हैं - कम से कम कचरा बर्बाद होने पाता है - 176215 गाड़ियों को सालाना सड़क से हटाने के बराबर गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं जो कि किसी भी ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले कचरे का तीन गुना है (चिंतन, 2011) कचरा जिनसे लोगों को कई तरह की बीमारियों होने की आशंका को बढ़ाता है, उन्हें घरों पर सड़कों के किनारे से हटाने का काम भी करते हैं।

मुख्य मुद्दे

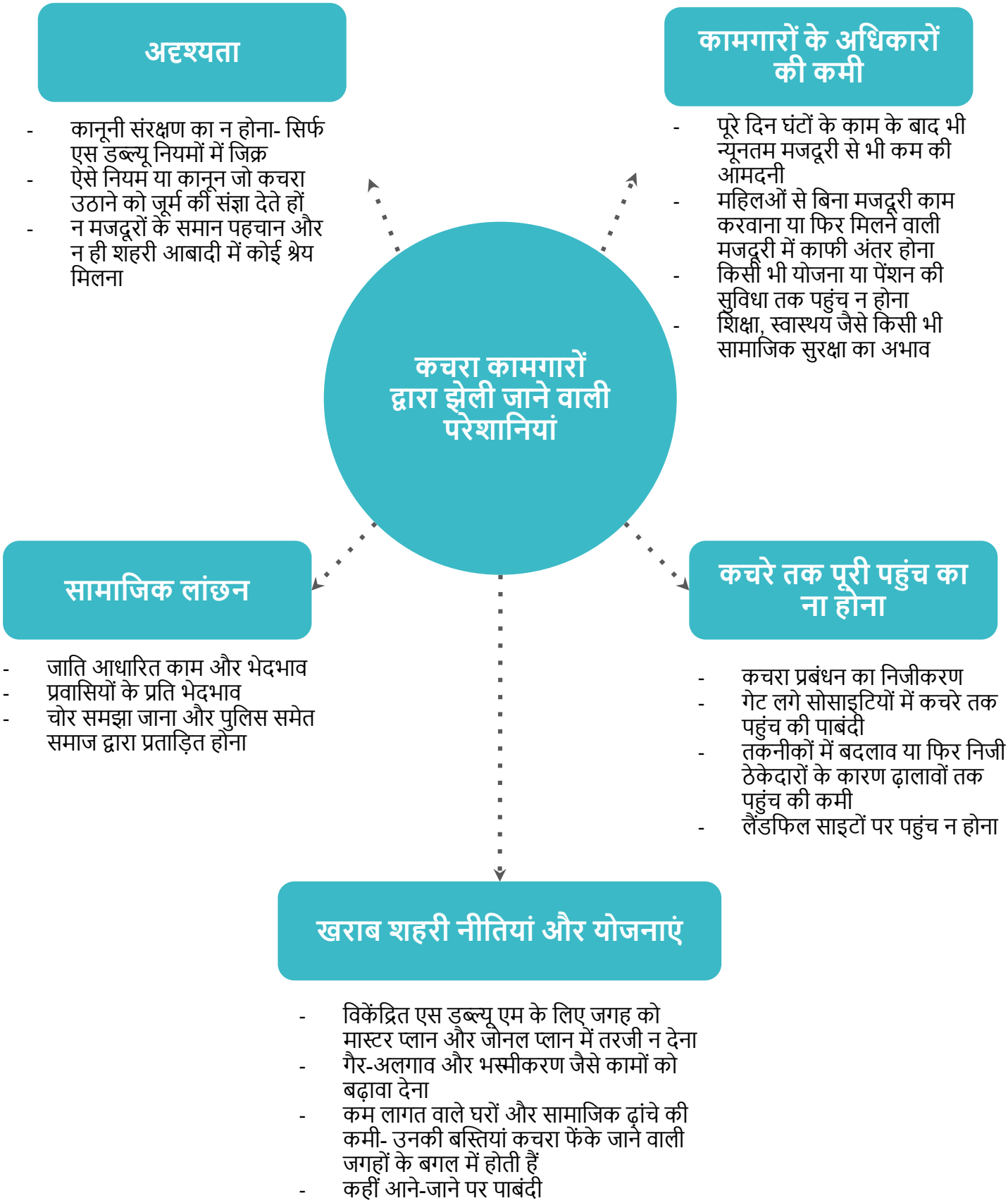
कचरा कामगारों द्वारा झेली जाने वाली परेशानियां
अदृश्यता
- कानूनी संरक्षण का न होना- सिर्फ एस डब्ल्यू नियमों में जिक्र
- ऐसे नियम या कानून जो कचरा उठाने को जुर्म की संज्ञा देते हों
- न मजदूरों के समान पहचान और न ही शहरी आबादी में कोई श्रेय मिलना
कामगारों के अधिकारों की कमी
- पूरे दिन घंटों के काम के बाद भी न्यूनतम मजदूरी से भी कम की आमदनी
- महिलाओं से बिना मजदूरी काम करवाना या फिर मिलने वाली मजदूरी में काफी अंतर होना
- किसी भी योजना या पेंशन की सुविधा तक पहुंच न होना
- शिक्षा, स्वास्थय जैसे किसी भी सामाजिक सुरक्षा का अभाव
सामाजिक लांछन
- जाति आधारित काम और भेदभाव
- प्रवासियों के प्रति भेदभाव
- चोर समझा जाना और पुलिस समेत समाज द्वारा प्रताड़ित होना
कचरे तक पूरी पहुंच का ना होना
- कचरा प्रबंधन का निजीकरण
- गेट लगे सोसाइटियों में कचरे तक पहुंच की पाबंदी
- तकनीकों में बदलाव या फिर निजी ठेकेदारों के कारण ढ़ालावों तक पहुंच की कमी
- लैंडफिल साइटों पर पहुंच न होना
खराब शहरी नीतियां और योजनाएं
- विकेंद्रित एस डब्ल्यू एम के लिए जगह को मास्टर प्लान और जोनल प्लान में तरजी न देना
- गैर-अलगाव और भस्मीकरण जैसे कामों को बढ़ावा देना
- कम लागत वाले घरों और सामाजिक ढ़ांचे की कमी- उनकी बस्तियां कचरा फेंके जाने वाली जगहों के बगल में होती हैं
- कहीं आने-जाने पर पाबंदी

कचरा चुनने वाले के लिए एमपीडी '41 क्या कर सकती है?

1 **सही प्रावधान करने के लिए सर्वेक्षण**
जिसके के जरिए उनकी सही संख्या और कचरे के काम का सही आंकड़े निकलाना

2 **सामुदायिक जगहों के पास ही कचरा अलग करने और जमा करने की व्यवस्था**
कचरे को चुनने वाली जगह के पास ही उसे अलग अलग करने की व्यव्स्था के लिए जगह देना
गीले कचरे के निस्तारण के लिए कचरा चुनने वालों को शुल्क दिया जा सकता है

3 **सूखे कचरे जमा केंद्र के लिए जगह/ पास में ही कचरा जमा करने की सुविधा**
कचरा चुनने की जरूरतों के मुताबिक ढालाओं का आकार और संरचना
बेंग्लूरू सूखा करना जमा करने वाले केंद्रों को तर्ज पर कचरा चुनने वालों द्वारा चलाई जाने वाली समान पुन: प्राप्ति केंद

4 **रीसाइकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जगह मुहैया करवाना**
व्यवसायिक क्षेत्रों में कबाड़ी की दुकान के लिए जगह
प्राकृतिक रीसाइकल बाजारों संरक्षण

5 **विकेंद्रित एस डब्ल्यूएम के लिए जमीन**
और दूसरी तकनीकों के मुकाबले रीसाइक्लिंग को प्राथमिकता देना
लैंडफिल्स या ऊर्जा प्लांट वाले कचरे के लिए बड़े पार्सल की भूमिका खत्म करने की योजना
विक्रेंद्रित कचरा प्रबंधन के लिए कचरे के छोटे पार्सल की उपलब्धता- जैसे- मिनि मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी/ गीला कचरा प्रबंधन को लिए पास में 50 स्कैयर मीटर का पार्क

संदर्भ: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (2017), 'दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना की सिफारिशें'। चिंतन पर्यावरण अनुसंधान और एक्शन ग्रुप का प्रकाशन: 'वेस्टपिकर्स: दिल्ली के भूल पर्यावरणविद?' (2018) - 'स्पेस फॉर वेस्ट: प्लानिंग फॉर द इनफॉर्मल साइकलिंग सेक्टर' (2003) यूएन हैबिटेट (2010), 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड्स सिटीज' डब्ल्टू आईईजीओ प्रकाशन: - ऐनी शेइनबर्ग (2012), इंफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेशन एंड हाई-परफॉर्मेंस रीसाइक्लिंग: एविडेंस फॉर 20 सिटीज'। वाडेहरा एस और मिश्रा ए (2017), 'दिल्ली वेस्ट वोज: इस देयर ए वे आउट?' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में। शिंडलर एट अल (2012), 'दिल्लीज वेस्ट कॉन्फिल्क्ट' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में।